कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
छत्तीसगढ़, जीरो पॉईन्ट,
बलौदा बाजार रोड, रायपुर – 492 005

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
CHHATTISGARH, ZERO POINT,
BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR - 492 005

दिनांक / Date : 01-8-2025

प्रति,

सचिव,
वित विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,
इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय: संभागीय लेखापाल कैडर के अधिकारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि :

1. भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लिए अधिसूचना क्रमांक F.No. FX-1/3/2024-PR, दिनांक 24.01.2025 जारी किया है जोकि दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है। तथापि, 31.03.2025 से पूर्व NPS के अंतर्गत सेवानिवृत हुये कर्मचारी भी UPS के लिए पात्र हैं।
2. PFRDA द्वारा UPS के संदर्भ में विनियम (Regulation) अधिसूचना क्रमांक F.No.PFRDA-12/01/001/2023-Legal दिनांक 19.03.2025 जारी किया गया है, जिसमें विकल्प फॉर्म के साथ-साथ इच्छुक कर्मचारी, डीडीओ एवं पीएओ द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दिया गया है। इच्छुक केन्द्रीय कर्मचारी दिनांक 30.06.2025 तक UPS के लिए अपना विकल्प ऑनलाइन अथवा संबन्धित DDO एवं PAO के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. संभागीय लेखापाल कैडर के अधिकारी/कर्मचारी की पदस्थापना छत्तीसगढ़ शासन के संभाग में की जाती है। चूंकि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए वे भी UPS विकल्प के लिए पात्र हैं। इच्छुक कर्मचारी को अपना विकल्प ऑनलाइन अथवा संबन्धित डीडीओ/पीएओ के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए, इस कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक No.Admn-II/F-387/O.O-26 दिनांक 02.05.2025 जारी किया गया था।
4. PFRDA के परिपत्र दिनांक 26.06.2025 द्वारा UPS के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के समय सीमा को 30.09.2025 तक बढ़ाया गया है।

दूरभाष/Tel. : +91-771-2285954 पी.बी.एक्स./PBX. : 0771-2281451 फैक्स/FAX : +91-771-2282607
ईमेल/Email : agacchhattisgarh@cag.gov.in

5. कुछ संभागीय लेखाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है की उनका राज्य सरकार के अधीन कार्य करने के कारण UPS विकल्प ऑनलाइन में प्रक्रिया नहीं हो रहा है। अतः इनका विकल्प संबन्धित डीडीओ/पीएओ के माध्यम से भौतिक रूप से प्रक्रियाधीन किया जाना है।

6. चूंकि संभागीय लेखापाल कैडर के अधिकारी/कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। अतः आपसे आग्रह है की यदि कोई कर्मचारी UPS के लिए अपना विकल्प उचित माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उनके विकल्प को भौतिक रूप से प्रक्रिया करने के लिए संबन्धित अधिकारी/डीडीओ/पीएओ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह पत्र प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

— Sd —
उप महालेखाकार (लेखा)

पृ.क्र./प्रशासन-II/F-387/डी-STR-150 दिनांक: 01.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सभी जिला कोषालय अधिकारी (through official website)
3. सभी कार्यपालन अभियंता (through official website)
4. NPS के अंतर्गत के संभागीय लेखाधिकारी/लेखापाल (through official website/Whatsapp Group)
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सर्वर

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन –II